

दिल्ली विकास प्राधिकरण
(कार्मिक शाखा)

सं. पीएस/डीडी (पीआर)/ 2010/ डीडीए/ 935

दिनांक: 08.04.2016

विषय: दिल्ली विकास प्राधिकरण में निदेशक (जनसंपर्क) के एक पद को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरना।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति के आधार पर वेतन बैंड रु. 15600-39100/- तथा ग्रेड वेतन रु. 7600/- में निदेशक (जनसंपर्क) के एक पद को भरने हेतु पात्रता मापदंड निम्नप्रकार हैं:

क) केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार/ सार्वजनिक उपक्रम/ स्वायत्तशासी निकायों के अधिकारी अथवा निम्नलिखित पात्रता मानदंडों वाले भारतीय सूचना सेवाओं के अधिमानतः अधिकारी:-

मूल विभाग/संवर्ग में समान पद धारित करते हों।

अथवा

मूल विभाग में वेतन बैंड-3 अर्थात रु. 15600-39100/- तथा ग्रेड वेतन रु. 6000/- में 5 वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण की हो।

ख) ख्यातिप्राप्त किसी समाचार पत्र/समाचार एजेन्सी (प्रिंट अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया) में जिम्मेदार क्षमता में 8 वर्षों की पत्रकारिता का अनुभव अथवा किसी सरकारी विभाग अथवा ख्यातिप्राप्त व्यावसायिक प्रचार संगठन में प्रचार एवं जनसंपर्क कार्य में समकक्ष अनुभव प्राप्त किया हो।

2. प्रतिनियुक्ति के आधार पर चयनित अधिकारी के वेतन एवं भत्तों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय जापन संख्या 6/8/2009-स्था.(वेतन)-II दिनांक 17 जून, 2010 तथा तदनुसार समय-समय पर संशोधित अनुसार विनियमित किया जाएगा।

3. यह अनुरोध है कि पात्र एवं इच्छुक अधिकारियों के आवेदनों को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आयुक्त (कार्मिक), दिल्ली विकास प्राधिकरण, बी-ब्लॉक, ग्राउंड फ्लोर, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को दिनांक 30 जून, 2016 को अथवा इसके पूर्व अग्रेषित करें।

क) विगत 05 वर्षों का पूर्ण तौर पर अद्यतन किया हुआ वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन।

ख) संवर्ग अनापत्ति एवं सतर्कता अनापत्ति प्रतिवेदन।

(अंतिम तिथि के उपरान्त अथवा वांछित दस्तावेजों के बगैर प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा)

ह/-

(एम.के. गुप्ता)

आयुक्त (कार्मिक)

दिल्ली विकास प्राधिकरण
(कार्मिक शाखा)

सं. पीएस/डीडी (पीआर)/ 2010/ डीडीए/ 936

दिनांक: 08.04.2016

विषय: दिल्ली विकास प्राधिकरण में निदेशक (जनसंपर्क) के एक पद को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरना।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति के आधार पर वेतन बैंड रु. 37400-67000/- तथा ग्रेड वेतन रु. 8700/- में निदेशक (जनसंपर्क) के एक पद को भरने हेतु पात्रता मापदंड निम्नप्रकार हैं:

क) केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार/ सार्वजनिक उपक्रम/ स्वायत्तशासी निकायों के अधिकारी अथवा निम्नलिखित पात्रता मानदंडों वाले भारतीय सूचना सेवाओं के अधिमानतः अधिकारी:-
मूल विभाग/संवर्ग में समान पद धारित करते हों।

अथवा

मूल विभाग में वेतन बैंड-III अर्थात् रु. 15600-39100/- तथा ग्रेड वेतन रु. 7600/- में 5 वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण की हो।

ख) ख्यातिप्राप्त किसी समाचार पत्र/समाचार एजेन्सी (प्रिंट अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया) में जिम्मेदार क्षमता में 8 वर्षों की पत्रकारिता का अनुभव अथवा किसी सरकारी विभाग अथवा ख्यातिप्राप्त व्यावसायिक प्रचार संगठन में प्रचार एवं जनसंपर्क कार्य में समकक्ष अनुभव प्राप्त किया हो।

2. प्रतिनियुक्ति के आधार पर चयनित अधिकारी के वेतन एवं भत्तों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय जापन संख्या 6/8/2009-स्था.(वेतन)-II दिनांक 17 जून, 2010 तथा तदनुसार समय-समय पर संशोधित अनुसार विनियमित किया जाएगा।

3. यह अनुरोध है कि पात्र एवं इच्छुक अधिकारियों के आवेदनों को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आयुक्त (कार्मिक), दिल्ली विकास प्राधिकरण, बी-ब्लॉक, ग्राउंड फ्लोर, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को दिनांक 30 जून, 2016 को अथवा इसके पूर्व अग्रेषित करें।

क) विगत 05 वर्षों का पूर्ण तौर पर अद्यतन किया हुआ वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन।

ख) संवर्ग अनापत्ति एवं सतर्कता अनापत्ति प्रतिवेदन।

(अंतिम तिथि के उपरान्त अथवा वांछित दस्तावेजों के बगैर प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा)

ह/-

(एम.के. गुप्ता)

आयुक्त (कार्मिक)